

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] No. 287] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 13, 2019/श्रावण 22, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 13, 2019/SHRAVANA 22, 1941

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2019

फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो /संयो विनि./2019.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2019 है।
- (2) ये विनियम 15 अगस्त, 2019 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 में,-
 - (1) विनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"5क. ग्रीन चैनल के अधीन संयोजनों के अनुमोदन के लिए सूचना,—

(1) अनुसूची 3 में उल्लिखित संयोजन के प्रवर्ग के लिए, ऐसे संयोजनों के पक्षकार, उनके अपने विकल्प पर अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट घोषणा के साथ विनियम 5 के अनुसरण में प्ररूप 1 में सूचना दे सकेंगे।

4185 GI/2019 (1)

(2) उप विनियम (1) के अधीन सूचना के फाइल किए जाने और उसकी पावती प्राप्त होने पर, प्रस्तावित संयोजन के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित कर दिया गया है:

परंतु जहां आयोग को यह पता चलता है कि संयोजन अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आता है और/या उपविनियम (1) के अनुसरण में फाइल की गई घोषणा सही नहीं है तो इस विनियम के अधीन दी गई सूचना और प्रदान किए गए अनुमोदन को आरंभ से ही शून्य माना जाएगा तथा आयोग संयोजन के संबंध में अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा:

परंतु यह और कि आयोग, इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व कि संयोजन अनुसूची 3 के अंतर्गत नहीं आता है और/या उपविनियम (1) के अनुसरण में फाइल की गई घोषणा सही नहीं है, संयोजन के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।";

- (2) विनियम 13 में,--
 - (क) उपविनियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1क) संयोजन का एक संक्षिप्त विवरण, जिसमें कोई गोपनीय जानकारी नहीं होगी और जो एक हजार शब्दों से अधिक नहीं होगा, आयोग को, उसकी वेबसाइट पर उसे प्रकाशित करने के प्रयोजन के लिए फाइल किया जाएगा, जिसमें : (क) संयोजन के पक्षकारों के नामों ; (ख) संयोजन की प्रकृति और प्रयोजन ; (ग) संयोजन के पक्षकारों के उत्पादों, सेवाओं और कारबार (कारबारों) ; और (घ) ऐसे संबद्ध बाजारों, जिनमें संयोजन के पक्षकार प्रचालन करते हैं, के संबंध में ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।";

- (ख) उपविनियम (1ख) का लोप किया जाएगा ;
- (3) अनुसूची 2 में, प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 1 [विनियम 5(2) देखें]

रजिस्ट्रीकरण सं. : (भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दिया जाना है) अधिसूचना देने वाले पक्षकार (पक्षकारों) द्वारा भरे जाने के लिए अपेक्षित जानकारी

भाग 1 : आधारिक जानकारी

- 1. संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के संबंध में जानकारी :
 - 1.1 संयोजन के पक्षकारों के विधिक नाम :
 - 1.2 संयोजन के पक्षकारों की विधिक प्रास्थिति (कंपनी/फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी/न्यास आदि) :
 - 1.3 निगमन/सृजन की अधिकारिता :
 - 1.4 रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यदि लागृ हो) :
 - 1.5 रजिस्ट्रीकृत पूरा पता/प्रधान कारबार का पूरा पता :
 - 1.6 संयोजन के पक्षकारों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और उसके संपर्क के ब्यौरे (ई-मेल पता, टेलीफोन नं., मोबाइल नं., देश/नगर/एरिया कोड सहित) :
 - 1.7 भारत में पूरा पता और संपर्क के ब्यौरे :
 - 1.8 वेबसाइट पता :

- 1.9 संयोजन में पक्षकारों के क्रियाकलापों का सुसंगत 4 अंकों वाला राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण :
- 1.10 फाइल करने से पूर्व परामर्श की तारीख:

भाग 2 : फीस का संदाय

[विनियम 11 का खंड (क) देखें]

2. जमा की गई फीस की विशिष्टियां।

भाग 3 : संसूचना संबंधी प्राधिकार

3. भारत में ऐसे व्यष्टि (व्यष्टियों) का नाम, पूरा पता और संपर्क के ब्यौरे, जो अधिसूचना देने वाले पक्षकार (पक्षकारों) की ओर से संसूचना (संसूचनाएं) प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है ।

भाग 4 : अवसीमाओं की पूर्ति [अधिनियम की धारा 5 देखें]

4. नीचे उपबंधित प्ररूप में संयोजन के पक्षकारों की आस्तियों और आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध कराएं :

| पक्षकारों का | (तारीख को) | | | (वित्तीय वर्ष के लिए) | | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------|----------------|------------|------------------------|
| नाम | | आस्तियां | | | आवर्त | | | |
| | | | भारत में विश्व भर में | | भर में | | | |
| | (करोड़ रुपए में) | यूएस डालर (दस लाख) | भारतीय रुपए (करोड़) | (करोड़ में) | रुपए | यूएस (दस ला | डालर ख) | भारतीय रुपए (करोड़) |
| पक्षकार 1 | | | | | | | | |
| पक्षकार 2 | | | | | | | | |
| संयुक्त रूप से | | | | | | | | |

भाग 5 : संयोजन का वर्णन

- 5. निम्नलिखित के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हुए संयोजन का वर्णन करें :
 - 5.1 अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अनुसरण में अधिसूचित संयोजन का विस्तार क्षेत्र (करार)ं) के अधीन सुसंगत खंड के प्रतिनिर्देश से, यथालागू) :
 - 5.1.1 धारा 5 के सुसंगत खंड के प्रतिनिर्देश से, यथास्थिति, अर्जन या विलयन या आमेलन के ब्यौरे ;
 - 5.1.2 इन विनियमों के विनियम 9 के उपविनियम (4) और/या उपविनियम (5) के निबंधनानुसार ऐसा (ऐसे) कोई अन्य संव्यवहार, जो परस्पर सहबद्ध है (हैं) ; और
 - 5.1.3 ऊपर 5.1.1 और 5.1.2 में निर्दिष्ट संव्यवहार (संव्यवहारों) द्वारा अर्जित या उद्भूत होने वाले या उससे सहबद्ध अधिकार ।
 - 5.2 संयोजन के प्रत्येक कदम के लिए समय-सीमा के साथ ऐसे कदम, जिन्हें संयोजन को प्रभावी करने के लिए उठाया जाएगा।
 - 5.3 संयोजन का आर्थिक और रणनीतिगत प्रयोजन (जिसके अंतर्गत संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के कारबार उद्देश्य और उनका औचित्य भी है और उनकी पूर्ति किस रीति में की जानी आशयित है)।
 - 5.4 प्रस्तावित संयोजन का मूल्य ।
 - 5.5 संयोजन के परिणामस्वरूप विदेशी निवेश (एफडीआई, एफपीआई आदि, यदि कोई हो, भारतीय रुपए में) तथा उनके उदभव का देश (के देश) ।

- 5.6 भारत से भिन्न किन्हीं अन्य अधिकारिताओं में फाइल करने संबंधी अपेक्षाएं और उसकी प्रास्थिति ।
- 5.7 प्रतिस्पर्धा न करने संबंधी बाध्यता, यदि कोई हो : अवधि, व्यक्तियों, उत्पाद (उत्पादों)/सेवा (सेवाओं) और राज्यक्षेत्र (राज्यक्षेत्रों) के निबंधनानुसार विस्तार क्षेत्र और तत्संबंधी अधिकारिता ।
- 5.8 संयोजन से संबंधित कोई अन्य सुसंगत जानकारी।

भाग 6 : संयोजन के पक्षकारों के संबंध में ब्यौरे और क्षेत्र का पर्यावलोकन

- 6. संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के ब्यौरे :
 - 6.1 उस समूह का नाम, जिससे संयोजन के पक्षकार संबंध रखते हैं।
 - 6.2 संयोजन के प्रत्येक पक्षकार के लिए निम्नलिखित के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध कराएं :
 - 6.2.1 भारत में अस्तित्व और भारत में उनकी उपस्थिति (उदाहरण के लिए, विक्रय कार्यालय, कारखाना, संपर्क कार्यालय, शाखा कार्यालय, फ्रैन्चाइज या भारत से बाहर किसी अस्तित्व के माध्यम से आदि) ;
 - 6.2.2 भारत में प्रयुक्त व्यापार का (के) नाम, कारबार का (के) नाम और/या ब्रांड का (के) नाम ; और
 - 6.2.3 भारत में और विश्वव्यापी क्रियाकलाप, यथा लागू।
- 6.3 संयोजन के पक्षकारों के उत्पादों (विनिर्मित, पूर्ति किए जाने वाले, वितरित और/या विक्रित) और/या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की सूची/ब्यौरे उपलब्ध कराएं।
- 6.4 **समस्तरीय परस्पर-व्यापन** कथन करें कि क्या संयोजन के पक्षकार और/या उनके संबंधित समूह अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान या एकसमान या प्रतिस्थापनीय उत्पादों का उत्पादन करते हैं या सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, सभी युक्तियुक्त विकल्पों को ध्यान में रखते हुए :

| यु। क्तयुक्त । वकल्पा क | । व्याग म रखत हु। | ζ. | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| | जी हां | | जी नहीं | | | |
| पदि उत्तर हां है तो | निम्नलिखित जान | ् कारी उपलब्ध कराएं | (प्रत्येक युक्तियुक्त वैव | ्——— कल्पिक सुसंगत | ा बाजार के ि | लेए जानकारी |
| उपलब्ध कराई जाएग | ति) : | | | | | |

- 6.4.1 सभी युक्तियुक्त विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, परस्पर व्यापन रखने वाले उत्पादों/सेवाओं और सुसंगत उत्पाद तथा सुसंगत भौगोलिक बाजार के ब्यौरे और साथ ही सुसंगत उत्पाद तथा सुसंगत भौगोलिक बाजार के प्रत्येक युक्तियुक्त विकल्प को स्वीकार करने और नामंजूर करने के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं;
- 6.4.2 सुसंगत स्रोत को उपदर्शित करते हुए प्राक्कलन और प्राक्कलन का आधार तथा विक्रय (रुपए में) और परिमाण (यूनिट) के मूल्य के निबंधनानुसार पिछले तीन वर्षों के लिए बाजार का कुल आकार ;
- 6.4.3 संयोजन के प्रत्येक पक्षकार (उनके सुसंगत समूह अस्तित्वों को सम्मिलित करते हुए) का पिछले तीन वर्षों के लिए बाजार शेयर के प्राक्कलन सहित विक्रय का मूल्य (रुपए में) और परिमाण (यूनिट) ; और
- 6.4.4 पांच सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों (पिछले तीन वर्ष के उनके बाजार शेयर सहित) ग्राहकों और पूर्तिकारों के नाम और संपर्क ब्यौरे ।
- 6.5 **वर्टिकल और अनुपूरक क्रियाकलाप**: कथन करें कि क्या संयोजन का कोई पक्षकार और/या उनका संबंधित समूह अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे उत्पादों या सेवाओं के उपलब्ध कराए जाने, जो उत्पादन श्रृंखला के भिन्न-भिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं, जिनमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार संलिप्त है, उत्पादन पूर्ति, वितरण, भंडारण, विक्रय और सेवा से संबंधित किसी क्रियाकलाप में लगा हुआ है, सभी युक्तियुक्त विकल्पों और/या किन्हीं अनुपूरक क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए:

| जी हां | जी नहीं | |
|--------|---------|--|
| | | |

यदि उत्तर हां है तो निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएं (प्रत्येक युक्तियुक्त वैकल्पिक सुसंगत बाजार के लिए जानकारी

उपलब्ध कराई जाएगी) :

- 6.5.1 सभी युक्तियुक्त विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्रियाकलापों या अनुपूरक क्रियाकलापों के ब्यौरे और साथ ही सुसंगत उत्पाद तथा सुसंगत भौगोलिक बाजार के प्रत्येक युक्तियुक्त विकल्प को स्वीकार करने और नामंजूर करने के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं;
- 6.5.2 सुसंगत उत्पाद और/या सेवाओं के लिए पिछले तीन वर्ष के लिए बाजार का आकार ;
- 6.5.3 सुसंगत उत्पाद और/या सेवाओं के लिए पिछले तीन वर्ष के लिए संयोजन के प्रत्येक पक्षकार (उनके सुसंगत समृह अस्तित्वों को सम्मिलित करते हुए) का बाजार आकार ;
- 6.5.4 सुसंगत उत्पाद और सेवाओं के लिए पिछले तीन वर्ष के लिए पांच सबसे बड़े प्रतिस्पर्धियों का बाजार आकार ; और
- 6.5.5 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान संयोजन के पक्षकारों के बीच विद्यमान पूर्ति संबंधी ठहराव, संव्यवहारों के परिमाण और मूल्य सहित तथा प्रत्येक बाजार के कुल विक्रय/उपभोग के संबंध में संबंधित पक्षकारों का ऐसे विक्रय/उपभोग का प्रतिशत ।
- 6.6 क्या संयोजन के किसी पक्षकार या उनके किसी समूह अस्तित्व के पास किसी ऐसे अन्य उद्यम (उद्यमों) की, जो : (क) समान/एकसमान/प्रतिस्थापनीय उत्पादों के उत्पादन, वितरण या व्यापार में या समान/एकसमान/प्रतिस्थापनीय सेवाओं के प्रदाय में लगा है ; और/या (ख) ऐसे उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार या सेवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित किसी क्रियाकलाप में लगा है, जो ऐसी उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं, जिसमें संयोजन का कोई अन्य पक्षकार भी संलिप्त है ; और/या अनुपूरक क्रियाकलापों में लगा है । यदि हां, तो ऊपर मद 6.1 से मद 6.5 के अनुसार ब्यौरे और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं।
- 6.7 ऐसे क्षेत्र (क्षेत्रों) का संक्षिप्त पर्यावलोकन उपलब्ध कराएं, जिनमें संयोजन के पक्षकार प्रचालन करते हैं। यदि संयोजन के पक्षकार समान, एकसमान, पूरक या अनुपूरक कारबारों में लगे हैं तो संबद्ध कारबारों के संबंध में बाजार संरचना ; विनियामक ढांचे ; हाल ही में हुए प्रवेशों और निकासों ; तथा कोई अन्य सुसंगत जानकारी उपलब्ध कराएं।
- 6.8 यदि संयोजन का कोई पक्षकार पिछले पांच वर्षों के दौरान अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन या उसके अनुसरण में आयोग या किसी अन्य प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी (प्राधिकारियों) के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों का पक्षकार रहा है तो उक्त कार्यवाही (कार्यवाहियों) के ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

भाग 7 : ग्रीन चैनल

[विनियम 5क देखें]

| 7. क्या प्रस्तावित संयोजन के लिए दी ग | ई सूचना ग्रीन चैनल के अध्यधीन है | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| जी हां | जी नहीं | |
| | भाग 8 : अनलग्रक | |

- 8. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :
 - 8.1 सूचना पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार (ऊपर मद 1.6 देखें)।
 - 8.2 आयोग को फीस के संदाय के लिए पावती (ऊपर मद 2 देखें) ।
 - 8.3 संसूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकार (ऊपर मद 3 देखें)।
 - 8.4 संयोजन के पक्षकारों की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट।
 - 8.5 इन विनियमों के विनियम 13 के उपविनियम (1क) के निबंधनानुसार संयोजन का संक्षिप्त विवरण ।
 - 8.6 (क) संयोजन के पक्षकारों के अंततोगत्वा मूल अस्तित्व और नियंत्रक शेयरधारक (शेयरधारकों) से आरंभ करते

हुए ; और (ख) ऐसे उद्यमों, जिनकी संरचना, स्वामित्व और नियंत्रण पर संयोजन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा की, संयोजन से पूर्व और उसके पश्चात् शेयर धृति/स्वामित्व के विस्तार और मतदान अधिकार (यदि वे स्वामित्व की रूपरेखा से भिन्न है), नियंत्रण के ब्यौरों सहित, को उपदर्शित करने वाला चार्ट ।

- 8.7 इन विनियमों के विनियम 5 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट अनुमोदन या करार/ दस्तावेजों की प्रति ।
- 8.8 संयोजन के पक्षकारों और/या उनके सुसंगत समूह अस्तित्वों के निदेशक बोर्ड और/या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को प्रस्तावित संयोजन के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले और/या उनके द्वारा विचारार्थ दस्तावेज, सामग्री (जिनके अंतर्गत रिपोर्ट, अध्ययन, योजना, अन्य दस्तावेजों का नवीनतम पाठ भी हैं) आदि ।
- 8.9 यदि प्रस्तावित संयोजन के लिए सूचना ग्रीन चैनल के अध्यधीन है तो अनुसूची 4 के निबंधनानुसार घोषणा :

घोषणा

अधिसूचना जारी करने वाला पक्षकार यह पृष्टि करता है कि उसने प्ररूप 1 में, उसके टिप्पणों के साथ पठित रूप में यथा अपेक्षित सभी जानकारी और दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिया है ।

अधिसूचना जारी करने वाला पक्षकार यह घोषणा करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि इस प्ररूप में दी गई सभी जानकारी और इससे संलग्न सभी पृष्ठ उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और यह कि सभी प्राक्कलनों की उसी प्रकार पहचान की गई है, जैसे कि वे हैं और उसके सर्वोत्तम प्राक्कलन अंतर्निहित तथ्यों पर आधारित हैं।

अधिसूचना जारी करने वाले पक्षकार द्वारा

या उसकी ओर से हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

| नाम (र | -पष्ट | अक्षरों | में) | ÷ |
|--------|-------|---------|------|---|
|--------|-------|---------|------|---|

पदनाम :

तारीख :

[एक से अधिक अधिसूचना जारी करने वाले पक्षकारों की दशा में, प्रत्येक पक्षकार इस प्ररूप का प्रयोग कर सकेगा ।]" ;

(4) अनुसूची 2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूचियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"अनुसूची III

[विनियम 5क का उपविनियम (1) देखें]

सभी युक्तियुक्त बाजार परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए, संयोजन के पक्षकारों, उनके संबंधित समूहों अस्तित्वों और/या किसी ऐसे अन्य अस्तित्व, जिसमें वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर धारण करते हैं और/या नियंत्रण रखते हैं, से यह अनुरोध किया जाता है कि वे :

- (क) समान या एकसमान या प्रतिस्थापनीय उत्पाद (उत्पादों) या सेवा (सेवाओं) का उत्पादन/प्रदाय न करें;
- (ख) ऐसे उत्पाद (उत्पादों) के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार या सेवा (सेवाओं) के प्रावधान में न लगें, जो किसी उत्पादन श्रृंखला के भिन्न-भिन्न प्रक्रमों या स्तरों पर हैं ; और

अधिसचना जारी करने वाले पथकार टारा

(ग) ऐसे उत्पाद (उत्पादों) के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, भंडारण, विक्रय या व्यापार या सेवा (सेवाओं) के प्रावधान में न लगे, जो एक-दूसरे की अनुपूरक हैं।

अनुसूची 4

[विनियम 5क का उपविनियम (1) देखें]

- 1. अधिसूचना देने वाला पक्षकार यह पुष्टि करता है कि उसने अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप 1 में यथा अपेक्षित सभी जानकारी और दस्तावेजों को प्रस्तुत कर दिया है।
- 2. अधिसूचना देने वाला पक्षकार यह पुष्टि करता है कि प्रस्तावित संयोजन अनुसूची 3 के अंतर्गत आता है और उससे प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
- 3. अधिसूचना देने वाला पक्षकार यह पृष्टि करता है कि उसने ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जो किसी सारवान विशिष्टि में मिथ्या हो या जिसके बारे में वह यह जानता हो कि ऐसा कथन असत्य है या उसने किसी सारवान विशिष्टि के बारे में यह जानते हुए कि वह सारवान है, उसका लोप नहीं किया है।

अधिसूचना देने वाला पक्षकार यह समझता है कि यदि ऊपर किए गए कथनों में से किसी को भी सही नहीं पाया जाता है तो विनियम 5क के अधीन दी गई सूचना और मंजूर किया गया अनुमोदन आरंभ से ही शून्य होगा ।

| जाव रूप गा भारत भारत भारत स्थान र द्वारा |
|---|
| या उसकी ओर से हस्ताक्षरित |
| हस्ताक्षर |
| नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : |
| पदनाम : |
| तारीख: |
| [एक से अधिक अधिसूचना जारी करने वाले पक्षकारों की दशा में, प्रत्येक पक्षकार इस प्ररूप का प्रयोग कर सकेगा]" |

पी.के. सिंह, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./174/19]

टिप्पण : मूल विनियमों को अधिसूचना सं.फा.सं.1-1/संयोजन विनियम/2011-12/सीडी/ सीसीआई द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III,खंड 4, तारीख 11 मई, 2011 में प्रकाशित किया गया था और उनमें निम्नलिखित द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे :--

- (क) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2012 फा.सं. 3-1/संशो./संयो.विनि./2012/सीडी/सीसीआई. द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 23 फरवरी, 2012 में प्रकाशित किया गया था।
- (ख) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2013 फा.सं. 3-1/संशो./संयो.विनि./2012/सीडी/सीसीआई. द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 4 अप्रैल, 2013 में प्रकाशित किया गया था।
- (ग) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2014 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 28 मार्च, 2014 में प्रकाशित किया गया था।
- (घ) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015

- फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 01 जुलाई, 2015 में प्रकाशित किया गया था।
- (ङ) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2016 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 07 जनवरी, 2016 में प्रकाशित किया गया था।
- (च) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2018 फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो./संयो.विनि./2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 09 अक्तूबर, 2018 में प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2019

The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2019

F.No. CCI/CD/Amend/Comb. Regl./2019.—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, namely:—

1. Short title and commencement.—

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the 15th day of August, 2019.
- 2. In the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011,—
 - (1) after regulation 5, the following regulation shall be inserted, namely:-

"5A. Notice for approval of combinations under Green Channel.-

- (1) For the category of combination mentioned in Schedule III, the parties to such combination may, at their option, give notice in Form I pursuant to regulation 5 along with the declaration specified in Schedule IV.
- (2) Upon filing of a notice under sub-regulation (1) and acknowledgement thereof, the proposed combination shall be deemed to have been approved by the Commission under sub-section (1) of section 31 of the Act:

Provided that where the Commission finds that the combination does not fall under Schedule III and/or the declaration filed pursuant to sub-regulation (1) is incorrect, the notice given and the approval granted under this regulation shall be void *ab initio* and the Commission shall deal with the combination in accordance with the provisions contained in the Act:

Provided further that the Commission shall give to the parties to the combination an opportunity of being heard before arriving at a finding that the combination does not fall under Schedule III and/or the declaration filed pursuant to sub-regulation (1) is incorrect.";

- (2) in regulation 13,-
 - (a) for sub-regulation (1A), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

- "(1A) A summary of the combination, not containing any confidential information, in not more than 1000 words, comprising details regarding: (a) name of the parties to the combination; (b) the nature and purpose of the combination; (c) the products, services and business(es) of the parties to the combination; and (d) the respective markets in which the parties to the combination operate, shall be filed for the purpose of publishing the same on the website of the Commission.";
- (b) sub-regulation (1B) shall be omitted;
- (3) in Schedule II, for Form I, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM I [See Regulation 5(2)]

Registration No: (to be assigned by the Competition Commission of India)

Information required to be filled in by the notifying party(ies)

Part I: Basic information

- 1.Information about each of the party to the combination:
 - 1.1. Legal names of parties to the combination and their role:
 - 1.2. Legal status of the parties to the combination (Company/Firm/LLP/Trust etc.):
 - 1.3. Jurisdiction of incorporation/formation:
 - 1.4. Registration number (if applicable):
 - 1.5. Complete registered address / principal business address:
 - 1.6. Name of the person signing on behalf of the parties to the combination and his contact details (email address, telephone number, mobile number, including country/city/area code):
 - 1.7. Complete address and contact details in India:
 - 1.8. Website address:
 - 1.9. Relevant 4-digit National Industrial Classification of the activities of the parties to the combination:
 - 1.10. Date of pre-filing consultation, if any:

Part II: Payment of fee [See clause (a) of Regulation 11]

2. Particulars of fee deposited.

Part III: Authorisation regarding communication

3. Name, complete address and contact details of Individual(s) in India who is authorised to receive communication(s) on behalf of the notifying party(ies).

Part IV: Meeting the thresholds [See section 5 of the Act]

4. Details of assets and turnover of the parties to the combination in the format given below:

| N | Assets (a | | | Turnover (for FY) | | |
|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| Name of the | In India | World | wide | In India | World | wide |
| Parties | (INR crore) | USD (million) | INR (crore) | (INR crore) | USD (million) | INR (crore) |
| Party 1 | | (IIIIIIOII) | (Clufe) | | (IIIIIIIIII) | (Clore) |
| Party 2 | | | | | | |
| Combined | | | | | | |

Part V: Description of the combination

- 5. Describe the combination by providing information regarding the following:
 - 5.1. Scope of the combination notified pursuant to sub-section (2) of section 6 of the Act (with reference to relevant clause under the agreement(s), as applicable):
 - 5.1.1. Details of acquisition or merger or amalgamation, as the case may be, with reference to relevant clause of section 5:
 - 5.1.2. Any other transaction(s) that is/are inter-connected, in terms of sub-regulation (4) and / or (5) of regulation 9 of these regulations; and
 - 5.1.3. Right(s) acquired or arising out of or in connection with the transaction(s) referred to at 5.1.1 and 5.1.2 above.
 - 5.2. Step(s) to give effect to the combination, along with timelines for each step(s) of the combination.
 - 5.3. Economic and strategic purpose (including business objective and rationale for each of the parties to the combination and the manner in which they are intended to be achieved) of the combination.
 - 5.4. Value of the proposed combination.
 - 5.5. Foreign investment as a result of the combination (FDI, FPI, etc., if any, in INR) and country(ies) of origin.
 - 5.6. Filing requirements and its status in jurisdictions other than India.
 - 5.7. Non-compete obligation, if any: Duration, scope in terms of persons, product(s)/ service(s) and territory(ies) and corresponding justification.
 - 5.8. Any other relevant information related to the combination.

Part VI: Activities of parties to the combination and sector overview

- 6. Details about each of the parties to the combination:
 - 6.1. Name of the group to which the parties to the combination belong.
 - 6.2. For each of the parties to the combination, details regarding the following:
 - 6.2.1. Entities in India and the presence in India (for example, sales office, factory, liaison office, branch office, franchise or through any entity from outside India, etc.);
 - 6.2.2. Trade name(s), business name(s) and the brand name(s) used in India; and
 - 6.2.3. Overview of activities worldwide and in India, as applicable.
 - 6.3. List/details of the products (manufactured, supplied, distributed, and/or sold) and/or services provided by the parties to the combination.

| 6.4. | Horizontal Overlaps - State as to whether the parties to the combination and/or their respective |
|------|---|
| | group entities, directly or indirectly, produce/provide similar or identical or substitutable products or |
| | services, considering all plausible alternative(s): |

| Yes | No | |
|-----|----|--|
| | | |

If the answer is yes, furnish the following information [information shall be furnished for each of the plausible alternative relevant market]:

- 6.4.1. Details of the overlapping products/ services and the relevant product and relevant geographic market, considering all plausible alternative(s), alongwith explanation for accepting and rejecting each of the plausible alternative of relevant product and relevant geographic market;
- 6.4.2. Estimate, indicating the relevant source and the basis of estimate, the total size of the market for last three years, in terms of value of sales (in rupees) and volume (units);
- 6.4.3. Sales in value (in rupees) and volume (units) along with an estimate of the market share(s) of each of the parties to the combination (including their relevant group entities), for the last three years; and
- 6.4.4. Name and contact details of the five largest competitors (along with their market shares for last three years), customers and suppliers.

| 6.5. | Vertical and Complementary Activities: State as to whether any of the parties to the combination |
|------|--|
| | and/or their respective group entities, directly or indirectly, are engaged in: any activity relating to the |
| | production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in products or provision of services |
| | which is at different stages or levels of the production chain in which any other party to the |
| | combination is involved, considering all plausible alternative(s); and/or any complementary activities: |

| Yes | No | |
|-----|----|--|
| | | |

If the answer is yes, furnish the following information [information shall be furnished for each the plausible alternative relevant market]:

- 6.5.1. Details of the upstream and downstream activities or the complementary activities, as the case may be, and the relevant product and relevant geographic markets, considering all plausible alternative(s), along with explanation for accepting and rejecting each of the plausible alternative of relevant product and relevant geographic market;
- 6.5.2. Market size for the last three years for relevant product and/or services;
- 6.5.3. Market share of each of the parties to the combination (including their relevant group entities) for relevant product and/or services for the last three years;
- 6.5.4. Market share of five largest competitors for relevant product and services for the last three years; and
- 6.5.5. Existing supply arrangements between the parties to the combination along with volume and value of transactions, during the previous financial year and percentage of such sales/consumption of the respective parties in relation to the total sales/consumption in each of the market(s).
- 6.6. Whether any of the parties to the combination or any of their group entities has direct or indirect shareholding and/or control over another enterprise(s) engaged in: (a) production, distribution or trading of similar/ identical/ substitutable products or provision of similar/ identical/ substitutable services; and/or (b) any activity relating to the production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in products or provision of services which is at different stages or levels of the production chain in which any other party to the combination is involved; and/or (c) complementary activities. If yes, provide details and necessary information as per Item 6.1 to 6.5 above.
- 6.7. Brief overview of the sector(s) in which the parties to the combination operate. If parties to the combination are engaged in identical, similar, supplementary or complementary businesses, also

provide a brief description of the market structure; regulatory framework; recent entry and exit; and any other relevant information, relating to concerned businesses.

6.8. If any of the parties to the combination was a party to any proceeding before the Commission under or pursuance to any provision of the Act or before other competition authority(ies), during the last five years, provide details of said proceeding(s).

Part VII: Green Channel [See Regulation 5A]

| 7. | whether the notice for the proposed combination is under Green Channel | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|--|
| | Yes | No | | | | |

Part VIII: Attachments

- 8. Attach the following documents:
 - 8.1. Authorisation for signing the notice (refer item 1.6 above).
 - 8.2. Acknowledgement for payment of fees to the Commission (refer item 2 above).
 - 8.3. Authorisation for receiving communication (refer item 3 above).
 - 8.4. Annual report of the parties to the combination, for the preceding financial year.
 - 8.5. Summary of the combination in terms of sub-regulation (1A) of regulation 13 of these regulations.
 - 8.6. Chart depicting shareholding/extent of ownership and voting right (if different from ownership pattern) along with details of control, prior to and after the combination, of: (a) the parties to the combination starting from their ultimate parent entity and controlling shareholder(s); and (b) for the enterprises, whose structure, ownership and control will be directly or indirectly affected by the combination.
 - 8.7. Copy of approval or agreement/documents as referred to in sub-section (2) of section 6read with regulation 5 of these regulations.
 - 8.8. Documents, material (including reports, studies, plan, latest version of other documents), *etc.* considered by and/or presented to the board of directors and/or key managerial person of the parties to the combination and/or their relevant group entities, in relation to the proposed combination.
 - 8.9. If the notice for the proposed combination is under Green Channel, declaration in terms of Schedule IV.

DECLARATION

The notifying party confirms that it has furnished all the information and documents as required in Form-I, read with notes thereto.

The notifying party declares and confirms that all information given in this Form and all pages annexed hereto are true, correct and complete to the best of its knowledge and belief, and that all estimates are identified as such and are its best estimates based on the underlying facts.

Signed by or on behalf of the notifying party

| Signature(s) | |
|--|--|
| Name (in block letters): Designation: | |
| Date: | |

[In case there are more than one notifying parties, each party may use the same format.]";

(4) after Schedule II, the following Schedules shall be inserted, namely:-

"Schedule III [See sub-regulation (1) of Regulation 5A]

Considering all plausible alternative market definitions, the parties to the combination, their respective group entities and/or any entity in which they, directly or indirectly, hold shares and/or control:-

- (a) do not produce/provide similar or identical or substitutable product(s) or service(s);
- (b) are not engaged in any activity relating to production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in product(s) or provision of service(s) which are at different stage or level of production chain; and
- (c) are not engaged in any activity relating to production, supply, distribution, storage, sale and service or trade in product(s) or provision of service(s) which are complementary to each other.

Schedule IV [See Sub-Regulation (1) of Regulation 5A]

Declaration

- 1. The notifying party confirms that it has furnished all the information and documents as required in Form I, as specified in Schedule II.
- 2. The notifying party confirms that the proposed combination falls under Schedule III and is not likely to cause adverse effect on competition.
- The notifying party confirms that it has not made any statement which is false in any material particular or knowing it to be false; or omitted to state any material particular knowing it to be material.

The notifying party understands that if any of the above statements is found to be incorrect, the notice given and the approval granted, under regulation 5A, shall be void *ab initio*.

Signed by or on behalf of the notifying party
Signature(s)

Name (in block letters):
Designation:
Date: ______

Note: In case there are more than one notifying party, each party shall file this declaration.".

P. K. SINGH, Secy. [Advt.-III/4/Exty./174/19]

Note: Principal regulations were published vide notification number F. No. 1-1/ Combination Regulations/2011-12/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th May, 2011 and were subsequently amended by,—

- (a) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2012 published vide F. No. 3-1/Amend/Comb.Regl./2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rd February, 2012;
- (b) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2013 published vide F. No. 3-1/Amend/Comb. Regl./2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 4th April, 2013;
- (c) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2014 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 28th March, 2014;
- (d) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2015 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 01st July, 2015;
- (e) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2016 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 07th January, 2016; and
- (f) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2018 published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 09th October, 2018.